प्रस्तावना

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएँ (एएफएमएस), महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएँ (डीजीएएफएमएस) जो रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है, की अध्यक्षता में एक अंतर-सेवा संगठन है। यह सशस्त्र- सेना कार्मिकों, उनके परिवारों तथा शासनादेशानुसार अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य उपचारिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

शान्ति-काल एवं युद्ध-काल दोनों ही के दौरान इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत, रक्षा सेवाओं में चिकित्सीय संस्थापनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2011 से नवम्बर 2011 के दौरान यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई है कि यह अपने लाभार्थियों को सामयिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाने हेतु अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु सुसज्जित है तथा ईसीएचएस के उदीयमान संगठन को आवश्यक आधारभूत संरचना, चिकित्सा उपकरण, औषधियाँ तथा मानव-संसाधन युक्त किया गया है। यह प्रतिवेदन प्रणालीगत कमियाँ उल्लेखित करते हुए तथा उपचारी उपायों की अनुशंसा करते हुए रक्षा सेवाओं में चिकित्सीय संस्थापनाओं के कार्यान्वयन में व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। हमें आशा है कि इस प्रतिवेदन में प्रदत्त अनुशंसाएँ, यदि कार्यान्वित हुई, तो एएफएमएस को अधिक कुशल एवं प्रभावी कार्यशैली प्रदान करेंगी।

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।